तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 1352/2017 अनवान छोटूसिंह बनाम मुकनसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर आगौर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 19.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, बाड़मर आगौर पर रा.उ.प्रा.वि. मेघवालों की बस्ती, (बाड़मेर आगौर) पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
19.11.2021 (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर आगौर, रा.उ.प्रा.वि. मेघवालों की बस्ती, (बाड़मेर आगौर) पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा फर्द मौका बनाकर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18.11.2021 को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विवादित तरमीम का मौका निरीक्षण कर सभी खातेदारों के रूबरू मौका फर्द बनाई गई जिसके अनुसार मौके पर मूल खसरा नंबर 1737 के सभी बट्टा नम्बरों के खातेदारों की सहमती/उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर कब्जा एवं मूल तरमीम में भिन्नता पाई गई। मौके पर कब्जा अनुसार सभी बट्टा नम्बरों के खातेदारों की सहमती से मौका नक्शा तैयार किया गया। मूल खसरा नंबर 1737 के जमाबंदी अनुसार बट्टा नंबर क्रमशः 2336/1737 रकबा 3.06 बीघा, खसरा नंबर 2337/1737 रकबा 13.00 बीघा, खसरा नंबर 2338/1737 रकबा 3.05.05 बीघा, खसरा नंबर 2339/1737 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 2340/1737 रकबा 0.02.15 बीघा, खसरा नंबर 2341/1737 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 2342/1737 रकबा 0.04.05 बीघा, खसरा नंबर 2667/1737 रकबा 1.03.10 बीघा, खसरा नंबर 2393/1737 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नंबर 3901/1737 रकबा 0.11.10 बीघा, खसरा नंबर 2344/1737 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नंबर 2464/1737 रकबा 0.11.10 बीघा, खसरा नंबर 2470/1737 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 2475/1737 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 2488/1737 रकबा 4.00 बीघा, खसरा नंबर 2621/1737 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 2666/1737 रकबा 0.06.	गिरधारसिंह मागीलाल आईदानराम पोकराराम धीरसिंह बालसिंह चोखाराम खेताराम

03 बीघा, खसरा नंबर 3210/1737 रकबा 0.14.17 बीघा, खसरा नंबर 3211/1737 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 3212/1737 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 3308/1737 रकबा 0.04.05 बीघा, खसरा नंबर 3447/1737 रकबा 1.00 बीघा दर्ज है जो संलग्न मौके नक्शा अनुसार आपसी सहमति से काबिज है। खसरा नंबर 2337/1737 रकबा 13.00 बीघा की भूमि मौके पर दो भागों में यानि रकबा 10.16 बीघा व 2.04 बीघा में स्थित है तथा खसरा नंबर 2336/1737 रकबा 3.06 बीघा की भूमि मौके पर दो भागो में यानि रकबा 2.16 बीघा व 0.10 बीघा में स्थित है। उक्त खातेदारों की भूमि वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 2336/1737 रकबा 3.06 बीघा व खसरा नंबर 2337/1737 रकबा 13.00 बीघा कुल रकबा 16.06 बीघा दर्ज है। जबकि मौके पर तीन टुकड़ों में क्रमशः रकबा 10.16 बीघा, 2.16 बीघा, 2.14 बीघा कुल रकबा 16.06 बीघा के रूप में स्थित है। मौके अनुसार रकबा 2.14 बीघा का नया खसरा बनाया जाना प्रस्तावित है तथा शेष सभी बट्टा नम्बरों के खसरे मौके अनुसार सहमती से सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम शुद्व किया जाना प्रस्तावित है। मौका नक्शा फर्द उक्त का अभिन्न अंग है। मौका फर्द पढ़कर सुनाई गई तथा हस्ताक्षर करवाए गऐ।

अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू–राज़स्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण मे ग्राम बाड़मेर आगौर के मूल खसरा नंबर खसरा नंबर 1737 के सभी बट्टा नम्बरों के खातेदारों की सहमती मे लट्ठा ट्रेस मे पूर्व मे की गई अशुद्व तरमीम की तरमीम दुरूस्ती करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही आदेश अलग से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर